RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मई, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 13, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय गर्मी का मौसम अपने चर्म पर है। आलू को भी यह मौसम सता रहा है। ऐसे मौसम मे आलू खाने का Taste टेस्ट बहुत कम हो जाता है। आलू की बिक्री एकदम कम है। भाव काफी गिरे हुए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक घरों मे रखा हुआ आलू बाजारों में आ रहा है। इस आलू की दशा काफी खराब हो चुकी है, इस लिए बहुत ही कम भाव पर बिक रहा है।

भन्डारणकर्ता को शीतगृह से माल निकाल कर बेचने में भारी घाटा हो रहा है। इस प्रकार यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा, इस वर्ष आलू की निकासी काफी कम हैं। आलू का भण्डारण अधिक है, कुछ एक शीतगृहों को छोडकर, सभी शीतगृह पूरी तरह से भर गए हैं। इस प्रकार यदि हिसाब लगाया जाए, तो आलू को शीतगृह से पूरी तरह निकालने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

→

हमें भन्डारणकर्ता को हर तरह से इस मार्ग पर लाना है कि वह शीघ्र–अति–शीघ्र आलू को शीतगृहों से निकाले। कम से कम 31 अक्टूबर तक तो शीतगृह अवश्य खाली होने चाहिए। सरकार के पहले शासनादेश में यह आदेश दिया गया है कि आलू का भन्डारण 30 नवम्बर तक किया जा सकता है। इस शासनादेश के कारण भन्डारणकर्ता शीतगृह से आलू निकालने में थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, इस कारण आलू और फंस जाता है। अक्टूबर के अन्त तक आलू की नई फसलें जोर भरने लगती है। नए आलू के सामने स्टोर का आलू बेचना मुश्किल हो जाता है और भाव भी गिर जाते हैं।

हमने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, अपनी सरकार से यह निवेदन किया है कि वह भन्डारण सत्र 31 अक्टूबर तक ही रहने दे, इससे शीतगृहस्वामी व भन्डारणकर्ता दोनों हानि से बच सकेंगे। अपने सदस्यों की जानकारी के लिए, हम यह पत्र यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।

417 / सी.एस.ए.27 / 37 / 2017 दिनाक : 9.5.2017

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एव खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश
उद्यान भवन, 2, सप्रू मार्ग,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

<u>विषय : आलू भन्डारण के सत्र के सम्बन्ध में</u>

कृपया ध्यान दे कि उत्तर प्रदेश में आलू भन्डारण सत्र की समाप्ति उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अनुसार 31 अक्टूबर दी गई है, परन्तु किसी सरकारी आदेश द्वारा यह 30 नवम्बर तक कर दी गई थी।

भन्डारण सत्र की इस अविधि को बढ़ा देने से भन्डारणकर्ताओ वा शीतगृहस्वामियो दोनो को भारी नुकसान उठाने पड़ रहे है। इस के कई कारण भी हैं :–

1. आलू के सूचारू रूप से रहने की अधिकतम सीमा आठ माह होती हैं, इससे अधिक भन्डारण करने पर उसमें अनेक प्रकार की खराबियाँ तेजी से उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे सूखन, सिकुड़न, वजन की तेजी से कमी, अंकुरण का होना आदि।
2. इस समय तक करीब–करीब बिजाई सत्र समाप्त हो चुका होता है, जिससे बीज के आलू की माँग तेजी से कम हो जाती है।

→

3. इस समय नई फसल का उत्पादित आलू मण्डियों में आ चुका होता है और वह बाजार भाव को तेजी से गिरा देता है।

4. जो शीतगृह भन्डारित आलू का बीमा कराते है, उस बीमे की अवधि भी 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है।

इस समय तक भन्डारित आलू को जब भन्डारणकर्ता निकालता है तो वह हर तरह से हानि में रहता है। बाजार का अच्छा भाव नहीं मिल पाता व ऐसा आलू बोने में भी अधिक उपयोगी नहीं रह जाता। कितने ही वर्षों में भन्डारणकर्ता भन्डारित आलू को शीतगृहों में ही छोड़ गए हैं। ऐसे आलू को बेचना तो दूर रहा, शीतगृहों से निकालना भी एक कठिन समस्या हो जाती है। शीतगृहों का भन्डारण प्रभार भी डूब जाता है।

आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिए बिन्दुओं पर अवश्य विचार करें। बढ़ी हुई भन्डारण अवधि के औचित्य की परीक्षा करें और इसे 31 अक्टूबर तक ही रहने दें, जिससे भन्डारणकर्ता व शीतगृहस्वामी दोनों को लाभ मिल सके।

सधन्यवाद,

कृते **कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश**

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

समय रहते कार्य करना उचित होता है। आग लग जाने पर आग बुझाने के सयंत्र खरीदने बाजार में भागना समझदारी नहीं होती। आलू की गिरती अवस्था को देखते हुए, हमने यह सोचा है कि सरकार के सहयोग से यदि सही कदम उठाया जाए तो आलू की निकासी अभी से ठीक की जा सकती है। इस सम्बन्ध में हमने सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिस में माँग की है कि सरकार दूर के प्रदेशों में आलू ले जाने के लिए सब्सीडी की घोषणा करें और भन्डारणकर्ताओं को भन्डारित आलू सीधा उपभोक्ता को बेचने में मदद करें। इसमें यह किया जा सकता है कि शीतगृह अपने शीतगृह के अन्दर आलू फुटकर भाव पर बेचने की व्यवस्था करें, जिस पर कोई आढ़त या मण्डी टैक्स न लगाया जाए। जो शीतगृह ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ से छोटी या बड़ी ट्रक में आलू दो किलो, 5 किलो के पैकट में भर कर शहरों तक लाया जा सकता है और व्यस्त चौराहे के पास ट्रक खड़ी करके, सस्ते भाव पर आलू बेचा जा सकता है। इस तरह की बिक्री, पिछले वर्षों में भी की जा चुकी है। इस से विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा, बीच का कमीशन व टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें यहाँ केवल फुटकर आलू बेचते समय मंडी टैक्स से छूट व मंडी क्षेत्र के बाहर आलू बिक्री करने की सरकार से इजाजत चाहिए।

→

इस सम्बन्ध में लिखी हुई चिट्ठी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। यह भी ध्यान दें, कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आलू के गिरते हुए भाव पर कृषकों ने आलू की दशा पर रोषपूर्ण प्रदर्शन भी किए है।

इस प्रकार के प्रदर्शन आगरा और फर्रूखाबाद में तो हमारे संज्ञान मे आए है। ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए ही Dy Director, Potato, Kanpur Zone, जिला उद्यान अधिकारी, Kanpur व Secretary, Mandi Samiti ने क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करी है, जिसे श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा, रीजनल कोआर्डिनेटर, पूर्वी क्षेत्र, वा श्री सर्वेश कटियार, उपाध्यक्ष कानपुर जोन के साथ यह मीटिंग attend करी है और स्थिति का जायजा लिया है और आप लोगों के अनुसार आलू की स्थिति ठीक नहीं है और समय रहते कोई कदम ना उठाया गया तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है।

ऐसी स्थिति को देखते हुए, हम सभी भन्डारणकर्ताओ को यह सलाह देंगे की थोड़ा–थोड़ा ही सही, हर भाव पर आलू निकालते रहना ही उचित होता है। मान भी लिया जाए, कि कुछ उपायों द्वारा भविष्य में आलू के रेट ठीक हो जायेंगे या और बढ़ जायेंगे, तो आपका बचा हुआ आलू महँगे रेट पर बिक जायेगा। सारे के सारे आलू को महँगे से महँगे रेट पर बेचना प्रायः असम्भव होता है। सीजन के अन्त में जब आप औसत निकालेंगे तो आपका औसत ठीक आयेगा और यदि आलू फस गया और फेकने की नौबत आ गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। सरकार को दिया गया पत्र इस प्रकार है।

417 / सीं.एस.ए.27 / 40 / 2017 दिनाक 18.5.2017

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एव खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश
उद्यान भवन, 2, सप्रू मार्ग,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

<u>विषय : भन्डारित आलू के निस्तारण के सम्बन्ध में</u>

आपके संज्ञान में लाना है कि इस समय शीतगृहों में भन्डारित आलू बहुत अधिक मात्रा में है। आलू के बाजार भाव तेजी से गिर रहे है और शीतगृहों से आलू की निकासी अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। →

इस परिस्थिति को देखकर किसानों में भारी असंतोष व्याप्त होता जा रहा है। भन्डारित आलू मण्डी में बिक्री करने पर उन्हे भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में भी कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। जगह–जगह आन्दोलन की स्थिति पैदा हो रही है। इसमें फार्रूखाबाद व आगरा प्रमुख रूप से आगे है। दिनांक 18.5.2017 कानपुर में किसानों की शीतगृहस्वामियों की, उद्यान विभाग के अधिकारियों की व मण्डी समिति के अधिकारियों की मीटिंग हुई है और इस चिन्ता को व्यक्त किया गया।

इस समय किसान सरकार की ओर आशा की नजर से देख रहे है और अगर यदि समय रहते आलू निस्तारण के लिए ठोस कदम नही उठाए गए, तो स्थिति अत्यधिक गम्भीर बन जाऐगी।

आप से निवेदन है कि शीघ्र–अति–शीघ्र किसानों को, आलू दूर के प्रदेशों में ले जाने के लिए Transport Subsidy की व्यवस्था करवाने का कष्ट करे।

सरकार प्रत्येक शहर मे सस्ता आलू भी बिकवाने की व्यवस्था कर सकती है जहाँ जनता को सीधा आलू प्राप्त होगा, जिस मे किसी भी प्रकार की आढ़त, ढुलाई व मण्डी टैक्स शामिल नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था से आलू की बिक्री कई गुना बढ़ जाऐगी।

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

कृपया यह भी ध्यान दें कि इस वर्ष क्योंकि आलू धीरे–धीरे निकल रहा है तो आलू को शीतगृहों के कमरों में पहले की तरह चलती हुई हवा कम मिलेगी। आलू के खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कोई खराबी ना होने पर भी या थोड़ी सी खराबी होने पर, भन्डारणकर्ता सारा दोष शीतगृह पर मढ़ना चाहता है। इस स्थिति से शीतगृहों को सावधान रहना चाहिए। भन्डारित आलू की देखभाल कुछ ज्यादा ही करनी चाहिए। यह तो पक्का कर ले कि पलटाई कम से कम दो बार अवश्य की जाए।

यह भी ध्यान रखे की शीघ्र ऐसा समय आ सकता है कि ज्यादा आलू एक साथ शीतगृहों से निकलने लगे। शीतगृहो को तैयार रहना चाहिए, खास तौर पर उन शीतगृहो को जहाँ पर आलू Shed में सुखा कर बिक्री के लिए भेजा जाता है। आलू सुखाने के लिए प्रायः Shed की कमी देखी जाती है। उसे समय रहते दूर करने की चेष्टा करें।

→

यदि सरकार हमारा यह सुझाव मान लेती है कि शीतगृह अपने यहाँ या अपने द्वारा फुटकर बिक्री कर सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई बंदिश होगी, उस समय भन्डारणकर्ता यह चाहता है कि उसे इस प्रकार का स्थान मिल सके जहाँ वह आलू के छोटे–छोटे पैकेट बनाकर ट्रकों में भर कर व्यस्त बिक्री स्थानों पर ले जा सकें, उस समय शीतगृहों को अपने यहाँ ऐसे स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कर लेने से आलू अच्छे भाव पर और तेजी से निकल जायेगा।

हमें यह भी आशा है कि सरकार हमारे इस अनुरोध को मान लेगी की भन्डारण सत्र 31 अक्टूबर तक ही रहे। अगर ऐसा होता है तो निकासी प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जायेगी।

आगरा मीटिंग के सम्बन्ध में :

हम कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की मीटिंग के सम्बन्ध में अपने पिछले अंक में विस्तार से लिख चुके है, फिर भी अनेक सदस्य हमसे मीटिंग के बारे में पूछते रहते है, कारण यह होता है कि अधिकांश सदस्य पत्रिका पढ़ने का कष्ट ही उठाना नहीं चाहते। सब चीज बिलकुल आसान रहे, हर बात चलते चलते हो जाए, इसलिए मात्र मोबाइल घुमा कर पूछ लेना ही उचित समझते है। अपने सदस्यों को और आसानी से समझाने के लिए हम मीटिंग के बारे में एक बार फिर एक प्रारूप के रूप में लिखना उचित समझते है, इसलिए अब यहाँ उसी प्रकार दे रहे हैं। सदस्य चाहे तो इस पन्ने को ही फाड़ कर जेब में रख लें और आगरा में पहुँच कर समझते जाए।

1. **मीटिंग** : फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स एवं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग एवं प्रर्दशनी।
2. **स्थान** : होटल क्लार्क शिराज, 54 ताज रोड आगरा पिन–282001 फोन नम्बर 0562–2226121
3. **तारीख** : दिनांक 6 जुलाई और 7 जुलाई, 2017
4. **समय** : मीटिंग प्रारम्भ प्रातः 10.00 बजे 6 जुलाई, 2017
   मीटिंग समाप्ति सायंकाल 5.00 बजे 7 जुलाई, 2017
5. **सदस्यों के ठहरने का स्थान** : होटल क्लार्क शिराज, 54 ताज रोड आगरा पिन–282001 फोन नम्बर 0562–2226121

   यहाँ उन सभी सदस्यो के ठहरने का प्रबन्ध किया जा रहा है जो इस होटल में ठहरना चाहते है। अपनी इच्छा अनुसार किसी और स्थान पर ठहरने के लिए सदस्य पूर्णरूप से स्वतन्त्र हैं।

→

6. **होटल में ठहरने का खर्च** : 1550/– रूपए प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि, उस दशा में होगा जब प्रति रूम दो व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। कमरे का भुगतान आप हमारे दिए हुए बैक एकाउट में कर सकते हैं।

Bank Details

Bank Account	:	Savings Bank Account Number 680310100014689
Name of Account Holder	:	Federation of Cold Storage Associations of India
Bank address	:	Bank of India,
		Aishbagh Branch, Lucknow (U.P.) Pin-226004
IFSC	:	BKID0006803

PAN Number of Federation of Cold Storage Associations of India :-

PAN	:	AAAAF1367N

व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उचित होगा कि कमरा चार्ज और रजिस्ट्रेशन फीस मिला कर **आप भुगतान 15 जून, 2017 तक अवश्य कर दें।** उसके बाद कमरा मिलने मे समस्या हो सकती है। आप अपने साथ ठहरने वाले व्यक्ति का चयन कर के, उस के नाम के साथ, हमे लिख भेजिए, आपको उसी प्रकार का कमरा दे दिया जाऐगा।

7. **रजिस्ट्रेशन** : इस मीटिंग मे शामिल होने के लिए प्रत्येक सदस्य को या उसके साथ आए उसके मेहमान को प्रति व्यक्ति 500 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी, जो कि केवल एक दफा देय होगी। प्रत्येक सदस्य अपने साथ एक मेहमान ला सकता है। यदि अधिक मेहमान लाने हो तो श्री राजेश गोयल, मोबाइल नम्बर 09319106205 से सम्पर्क करें।

8. **भोजन व्यवस्था** : भोजन का कोई भी चार्ज सदस्यो को देय नही होगा। 7 जुलाई, 2017 को पैकड डिनर की व्यवस्था भी की गई है, केवल अपने नाम देने होगे।

9. **किसे सम्पर्क करे?** : होटल मे हमने सूचना कक्ष की व्यवस्था की है, परन्तु फिर भी आप वहाँ पहुँच कर निम्न मे से किसी एक व्यक्ति से संपर्क कर सकते है।

1. श्री अनुरंजन सिंघल मोबाइल नं. : 9837017767
2. श्री गोविन्द अग्रवाल मोबाइल नं. : 9758765700
3. श्री रिशी सिंह मोबाइल नं. : 9319204012

→

कृपया ध्यान दें की यह सारे सदस्यों का Function है इसमें व्यवस्था बनाए रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। आप हमें तुरन्त ही सुझाव भी भेज सकते है, हम उन्हें कार्य में लाने की चेष्टा करेगे।

जी.एस.टी. के सम्बन्ध में :

श्री सुधीर चन्द्र गोयल, उपाध्यक्ष, मुज्जफरनगर जोन ने हमें बहुत ही जानकारी वाला मैसेज भेजा है। हम उनके आभारी है। यह संदेश अग्रेजी में है, इसलिए हम इसे यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए वैसा का वैसा ही छाप रहे है। यहाँ पर यह स्पष्ट दिया है कि शीतगृह व उसके अन्दर होने वाले कार्यों में GST यानि Good and Service Tax से पूरी तरह मुक्त है।

Service Tax Exemptions to be continued in GST as decided by GST Council.

4. Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fiber, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of :-
   (i) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing or
   (ii) supply of farm labor;
   (iii) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;
   (iv) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;
   (v) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;
   (vi) agricultural extension services;
   (vii) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.

37. Services by way of pre- conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables →

75. Services by way of transportation by rail or a vessel from one place in India to another of the following goods

(a) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap;

(b) defence or military equipment;

(c) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers;

(d) railway equipment or materials;

(e) agricultural produce;

(f) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice; and

(g) organic manure

सरकार को शीतगृह के बारे में दिया प्रतिवेदन :

हम अपनी आवाज समय–समय पर सरकार के सामने उठा रहे है। देखते है क्या नतीजा निकलता है। हमारी विस्तृत समस्याऐ क्या है, यह हमारे सब सदस्यो को पता ही होना चाहिए, विशेष रूप से वह समस्याएँ जो हम सरकार के सामने रख रहे है। इस सम्बन्ध मे हमने एक पत्र माननीय सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश को भी दिया है। उसे हम प्रकाशित कर रहे हैं। यह मात्र सदस्यो की जानकारी के लिए है।

417 / सी.एस.ए.27 / 25 / 2017 दिनाक 22.5.2017

सेवा में,

माननीय सतीश महाना,
औद्योगिक विकास मंत्री,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

माननीय,

विषय : शीतगृह उद्योग के विकास सम्बन्ध में

उपरोक्त विषय पर शीतगृहों की ओर से हमें अपने उन बिन्दुओं को आपके समक्ष लाना है जिन पर हम सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते है या जिन के समाधान से शीतगृहों व कृषकों को लाभ पहुँचेगा वा प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

→

शीतगृह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में :

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 39(1) इस प्रकार है :–

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

शीतगृह कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अधीन आते है। इस अधिनियम व नियमावली के अर्न्तगत शीतगृहो द्वारा की गई कोई भी भूल या गलती संज्ञेय अपराध में गिनी जाती है और शीतगृहों को तुरन्त विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने की धमकी दी जाती है या एफ. आई.आर. दर्ज करा दी जाती है। इससे भ्रष्टाचार को अत्याधिक बढ़ावा मिलता है।

छोटे–छोटे अपराध जैसे किसी शीतगृह में आलू के बोरों की धांगे ज्यादा कैसे लग गई, बिजली के बल्ब कम मात्रा में क्यों लगे है, भन्डारणकर्ताओं को प्रभार की सूचना समय पर लिखित क्यों नहीं दी गई आदि आदि। इस प्रकार शीतगृहों का मनोबल टूटता है।

यह भी स्पष्ट नहीं होता की अधिनियम में अपराध कौन से है वा कौन सी धारा में दिए हुए है। यह भी स्पष्ट नहीं होता कि इनको अपराध कहने का अधिकार किस को है। इस समय कोई भी व्यक्ति शीतगृहो से सम्बन्धित अपनी किसी भी परेशानी को अपराध मान कर FIR कराने का सहारा ले रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। शीतगृहस्वामी यह समझ नहीं पा रहे है कि ऐसे कौन से अपराध है जो शीतगृहों में सज्ञेय माने जा रहे है जबकि उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योग संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में नहीं आते। हमने माना कि अपराध होने पर अपराधी को सजा का प्राविधान होना चाहिए परन्तु शीतगृह उद्योग में सीधे–सीधे सज्ञेय अपराध लगा देना घोर अन्याय है।

शीतगृहों को प्रदूषण बोर्ड से पूर्णतः मुक्त किया जाना चाहिए :

शीतगृहों को प्रदूषण करने वाले उद्योग गिनना सर्वथा गलत है। यद्यपि प्रदूषण बोर्ड ने एक पत्र जारी कर शीतगृहों को प्रदूषण उद्योगों की क्षेणी से मुक्त किया है पर फिर भी प्रदूषण बोर्ड इसे नहीं मानता। प्रदूषण बोर्ड पत्र संख्या GO2164/37/ARN/97 dated 3-6-97 में यह बात स्पष्ट है।

शीतगृहों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण पत्र संख्या F77184/c-2/सामान्य नोडल–347/2016 दिनांक 18.4.2016 के द्वारा पहले ही मुक्त किया जा चुका है और इन्हें हरी श्रेणी मे रखा गया हैं। पत्र सूची के साथ संलग्न है। इस सम्बन्ध में सरकार का कार्यालय ज्ञाप दिनाक 18.6.2015 का अवलोकन करना भी सही होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ऐसे हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रथम बार स्वीकृति प्रदान करने के बाद प्रत्येक वर्ष स्वयं ही नवींकृत माना जायेगा।

मान्यवर, इस सारे विषय का संज्ञान लें और नियमानुसार शीतगृहों पर नियम लागू किए जाए।

→

शीतगृह के लाईसेन्स व लाईसेन्स नवीकरण के सम्बन्ध में :

शीतगृहो के लाईसेन्स देने की प्रक्रिया को पूर्णत्या समाप्त किया जाना चाहिए। लाइसेन्स राज पूरी जरह समाप्त हो चुका है, फिर शीतगृहों पर ही लाईसेन्स का शिकंजा क्यों हो। उद्योग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है जिससे सरकार को उद्योग के बारे में पूरी जानकारी रहे।

लाइसेन्स के प्रतिवर्ष नवीकृत किए जाने का तो अधिनियमों में भी बहुत आसान तरीका दिया है परन्तु धीरे–धीरे सरकारी आदेशों ने इसे विषमतम बना दिया है। लाइसेन्स समाप्ति के साथ–साथ लाइसेन्स नवीकरण को भी समाप्त किया जाना चाहिए। विभाग चाहे तो बराबर निरीक्षण कर सकता है।

मण्डी टैक्स से पूर्ण मुक्ति :

आलू की बिक्री पर मण्डी टैक्स से पूरी छूट दिया जाना उचित रहेगा। इस समय मण्डी टैक्स अधिकारी आलू भन्डारित करने वाले किसानों से व आलू बिक्री करने वाले किसानों से मण्डी टैक्स वसूलते हैं क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। जबकि मण्डी टैक्स विक्रेता से नहीं लिया जाना चाहिए।

कई बार शीतगृहों में भन्डारित आलू जो कि अन्य प्रदेशो की मण्डियों में जा रहा होता है उस पर भी मण्डी टैक्स वसूल लिया जाता है। इस टैक्स से आलू का किसान बहुत परेशान है।

बीमा सम्बन्धी :

आलू सड़ने का बीमा कराया जाना अनिवार्य होना चाहिए जो कि इस समय अनिवार्य नही है। बीमा अनिवार्य हो जाने की दशा मे आलू सड़ने या खराब होने का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा सीधा भन्डारणकर्ता के खाते में जाना चाहिए। शीतगृहस्वामियो का क्लेम करने का दायित्व होना चाहिए, क्लेम पाने का अधिकार नही। सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्लेम बीमा कम्पनियाँ अवश्य दें। बीमे के प्रीमियम का भार शीतगृहस्वामियों पर होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 17 में संशोधन :

धारा 17 में भन्डारित माल खराब हो जाने की दशा में भन्डारणकर्ता को सूचित करने की प्रक्रिया बहुत ही लम्बी है और यथार्थ से परे है। इतनी लम्बी प्रक्रिया अपनाने में तो खराब होता आलू बर्बाद हो जायेगा और इस में किसी का भी लाभ नहीं होगा। इसे व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, इस धारा के अव्यावहारिक रूप को स्वयं पढ़ कर समझ जायेंगे।

→

रात्रि बिजली के रेट में छूट :

शीतगृहों को भी रात्रि में बिजली के प्रयोग करने पर बीस प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए। इस समय यह छूट मात्र 7.5 प्रतिशत है। Furnace Udyog को यह छूट बीस प्रतिशत दी जाती है।

सौर ऊर्जा पर अनुदान :

शीतगृहों के लिए बराबर ऊर्जा का मिलते रहना अत्यन्त आवश्यक होता है इसलिए सरकार को सौर ऊर्जा संयत्र लगाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सीडी की घोषणा करनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना है कि शीतगृहों पर इस तरह के कड़े नियम केवल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की कुछ नकल पश्चिम बंगाल में माननीया ममता बनर्जी की सरकार में जरूर है। ऐसे नियमों से उद्योगों में कुंठा का वातावरण बढ़ता है और विकास नहीं होता। यही कारण है कि इतने आवश्यक उद्योग में किसी भी विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने हिस्सा नहीं लिया है।

आप से न्याय की अपेक्षा करते है और विश्वास रखते है कि आपके शासनकाल में यह उद्योग बहुत तेजी से फले फूलेगा।

सधन्यवाद

कृते **कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश**

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

विद्युत सम्बन्धी :

नई सरकार आते ही विद्युत सप्लाई में अवश्य अन्तर आया है। हमें आशा है कि आपके क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई अच्छी हुई होगी। कृपया हमें अवश्य लिख भेजिए कि कितने घन्टे अधिक बिजली मिलने लगी है। उसी हिसाब से हम अपनी तरफ से बनाए जाने वाले प्रतिवेदनों में बिजली सम्बन्धी माँग को रखेंगे।

समाचार पत्रो में हमें यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सस्ती बिजली खरीद रही है जो कि अनुमानतः 2.50 रूपए प्रति यूनिट की है। इस कारण बिजली का खर्च सस्ता बैठता हैं। सरकार इस खर्च की बचत को उद्योगों को देना चाहती है, जिससे उत्तर प्रदेश में और अधिक उद्योग आ सके। इस समय तो हम सबसे अधिक बिजली का रेट दे रहे है और इस कारण से भी अनेक उद्योग उत्तर प्रदेश में आने से कतराते हैं।

→

जानकार सूत्रों से पता लगा है कि अभी शुरू में उद्योगों को 70 पैसे प्रति यूनिट की कमी की जाऐगी वा रात्रि में राज्य में बिजली का प्रयोग करने वाले उद्योगों को 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी। देखते है सरकार क्या छूट की घोषणा करती है, बिजली का नया टैरिफ शीघ्र ही आना चाहिए।

बिकाऊ

160 KVA जनरेटर चालू हालत में वेल मेंटेन पोजीशन में खरीदने के लिए संपर्क करें। (रिंग, पिस्टन एवं इंजन अभी तक खुला नहीं है सब कुछ कंपनी फिटिंग है)

- Price : 350000/- (Negotiable)
- Company : Cummins Jackson
- Altenaotor company : Jyoti
- Without canopy (बिना कैनोपी)।

प्रेषक :

श्रीमती राम देई देवी कोल्ड स्टोरेज

पोस्ट–आनन्द नगर, जिला–महाराजगंज,
पिन–273155 (उत्तर प्रदेश)
मोबाइल नं0 : 8081943977, 9415246481,
Email Address : prateeksarraf@yahoo.co.in

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित